उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–10,
सख्या– /XXVII–10/2025–E–26942/2022
देहरादूनः दिनांक– सितम्बर, 2025

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 एवं अंशदायी भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली तथा उत्तर प्रदेश अंशदायी भविष्य निधि पेंशन नियमावली, 1984 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) उत्तराखण्ड में लागू अंशदायी पेंशन योजना के प्राविधानों के अनुसार श्री राज्यपाल घोषित करते है कि सामान्य सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर **दिनाक–01 अप्रैल, 2025 से दिनांक–30 जून, 2025 एवं दिनाक–01 जुलाई, 2025 से दिनांक–30 सितम्बर, 2025** तक की अवधि हेतु 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) होगी। उक्त दर क्रमंशः दिनाक–01 अप्रैल, 2025 एवं दिनाक–01 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगी।

Digitally signed by Vadivel Shanmugam
Date: 08-10-2025 18:25:49

(डा0 वी0 षणमुगम)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार, आडिट, वैभव पैलेस, इन्द्रा नगर, देहरादून।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, रिंग रोड़, देहरादून।
11. निदेशक, आडिट, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. निदशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
14. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
15. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, देहरादून।
17. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
18. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त कार्यालय ज्ञाप की 50 (पचास) प्रतियॉ मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग–10, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
19. गार्ड फाइल।

Digitally signed by Vijay Kumar
Date: 09-10-2025 10:56:17

आज्ञा से,

(विजय कुमार)
संयुक्त सचिव।